7

राजस्थान–सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू

क्रमांक: प. 12 (1)(20)राजस्व / 2008 / दिनांक – 23.10.08

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक स्वतंत्रता सेनानी चौ0 बल्लाराम आर्य, चेरीटेबल ट्रस्ट चान्दगोठी अध्यक्ष श्री हवासिंह आर्य पुत्र स्व0 बल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुडाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैः–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम तथा पूरा पता –	स्वतंत्रता सेनानी चौ0 बल्लाराम आर्य, चेरीटेवल ट्रस्ट चान्दगोठी अध्यक्ष श्री हवासिंह आर्य पुत्र स्व0 बल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुडाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य है?	नहीं
3.	संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए ईप्सित भूमि का ब्यौरा –	
	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	चान्दगोठी तहसील राजगढ़
	(ख) भूमि का ख0 नं0 व क्षेत्रफल	ख. नं0 1135 / 1133 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि
	(ग) प्रत्येक ख0 नं0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल–	ख. नं0 1135 / 1133 में से 3795 वर्गमीटर भूमि
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन –	शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर –	नियमानुसार
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम–	चा0 नं0 66 दिनांक 16.10.08 राशि 18,975 / – रू. (अठारह हजार नौ सौ पिचेत्तर रूपये मात्र)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम–	नहीं
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम–	नहीं ।
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम–13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं ।
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो–	नहीं ।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा –

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन भी समपहृत हो जायेगा।
3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. भू स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा तथा आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सरकारी आदेशों व उक्त शर्तो की पालना करनी होगी।
5. इण्डियन रोड़ कॉग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत सड़क से दूरी छोड़नी होगी।
6. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
7. आवेदक संपरिवर्तित भूमि का प्राधिकृत अधिकारी से पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करेगा।
8. यदि प्रकरण के सम्बन्ध में भविष्य में कोई राशि देय बनती है, तो आवेदक उक्त राशि जमा कराने के लिए बाध्य होगा अन्यथा संपरिवर्तन आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा राशि समपहृत हो जायेगी।

जिला कलक्टर,
चूरू

क्रमांकः प. 12 (1)(20)राजस्व / 2008 /

दिनांक – 23.10.08

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है –

1. उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार – राजगढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत चान्दगोठी, तहसील राजगढ़
3. आवेदक स्वतंत्रता सेनानी चौ0 बल्लाराम आर्य, चेरीटेबल ट्रस्ट चान्दगोठी अध्यक्ष श्री हवासिंह आर्य पुत्र स्व0 बल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुडाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
4. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला कलक्टर,
चूरू